



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102026-276744
CG-DL-E-03102026-276744

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5226]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 3, 2026/आश्विन 11, 1948

No. 5226]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 3, 2026/ASVINA 11, 1948

विद्युत मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 02 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5436(अ).— भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की उस अधिसूचना में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना का. आ. संख्या 5346(अ), दिनांक 29 सितंबर, 2026 के तहत प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित शुद्धियाँ की जाती हैं : —

पैरा/उप पैरा/ खण्ड	भाषा	अधिसूचना में प्रकाशित पाठ	इसके स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाए
1. पैरा 1 (भूमिका)	हिंदी (पृष्ठ 1)	निम्नलिखित समीकरण के अनुसार परिकल्पित किए जाएंगे, अर्थात्:-	निम्नलिखित समीकरण के अनुसार परिकल्पित किए जाएंगे, अर्थात्:-
2. पैरा 1 खंड (c)	हिंदी (पृष्ठ 2)	(क). निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिकल्पित किया जाता है: -	(ग). निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिकल्पित किया जाता है: -
3. पैरा 2 उप-पैरा (1) (प्रथम पंक्ति)	हिंदी (पृष्ठ 3)	(1) वार्षिक औसत ईंधन खपत मानक संशोधित भारतीय ड्राइविंग चक्र) एमआईडीसी (और निम्नलिखित समीकरण के अनुसार परिकल्पित	(1) वास्तविक ईंधन खपत का वार्षिक औसत संशोधित भारतीय ड्राइविंग चक्र (एमआईडीसी) और निम्नलिखित समीकरण के अनुसार

		किया जाएगा, अर्थात्:	परिकलित किया जाएगा, अर्थात्:
4. पैरा 2 उप-पैरा (1), "C.N.F _i " की परिभाषा	हिंदी (पृष्ठ 3)	C.N.F _i = प्रतिशत में लागू कार्बन तटस्थ कारक;	C.N.F _i = प्रतिशत में लागू कार्बन उदासीनता कारक;
5. पैरा 2 उप-पैरा (1), "C _i " की परिभाषा	हिंदी (पृष्ठ 3)	C _i = अधिसूचना के उप-पैरा (4) में परिभाषित किया गया है।	C _i = अधिसूचना के उप-पैरा (3) और (4) में परिभाषित किया गया है।
6. पैरा 2 उप-पैरा (2)	हिंदी (पृष्ठ 3)	(2) प्रत्येक मॉडल की ईंधन खपत (एफसी) प्रति सौ किलोमीटर में	(2) प्रत्येक मॉडल की ईंधन खपत (एफसी) लीटर प्रति सौ किलोमीटर में
7. पैरा 2 उप-पैरा (2), खण्ड (a)	हिंदी (पृष्ठ 3)	(क). वास्तविक ईंधन खपत की गणना प्रति सौ किलोमीटर (पेट्रोल, एलपीजी या डीजल के मामले में)	(क). प्रत्येक मॉडल की वास्तविक ईंधन खपत की गणना लीटर प्रति सौ किलोमीटर (पेट्रोल, एलपीजी या डीजल के मामले में)
8. पैरा 2 उप-पैरा (2), खण्ड (b)	हिंदी (पृष्ठ 4)	(ख). अनुमोदन के अनुसार किलोवाट-घंटे प्रति एक हजार किलोमीटर में मापा जाएगा;	(ख). अनुमोदन के अनुसार किलोवाट-घंटे प्रति एक सौ किलोमीटर में मापा जाएगा;
9. पैरा 2 उप-पैरा (4), खण्ड (a)	हिंदी (पृष्ठ 4)	(क) नीचे दी गई तालिका 1.3 में सूचीबद्ध इन प्रौद्योगिकियों से ईंधन खपत में कमी को प्रमाणित करने के लिए उपयुक्त प्रमाणन पद्धतियाँ पृथक् रूप से विकसित करेगा;	(क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नीचे दी गई तालिका 1.3 में सूचीबद्ध इन प्रौद्योगिकियों से ईंधन खपत में कमी को प्रमाणित करने के लिए उपयुक्त प्रमाणन पद्धतियाँ पृथक् रूप से विकसित करेगा;
10. पैरा 2 उप-पैरा (4), तालिका 1.3, क्र. सं. 5, कॉलम (3)	हिंदी (पृष्ठ 5)	≥ 72% के लिए ≥ 90ए से < 150 से रेटिंग	≥ 72% के लिए ≥ 90ए से < 150ए रेटिंग
11. पैरा 2 उप-पैरा (4), तालिका 1.3, क्र. सं. 6, कॉलम (2)	हिंदी (पृष्ठ 5)	12 वोल्ट/48 वोल्ट मोटर-जनित्र) सूक्ष्म-संकर(	12 वोल्ट/48 वोल्ट मोटर-जनित्र (सूक्ष्म-संकर)
12. पैरा 2 उप-पैरा (4), तालिका 1.3, क्र. सं. 8, कॉलम (3)	हिंदी (पृष्ठ 5)	...न्यूनतम सौर ऊष्मा अर्जन स्थिरांक ≥ 58%	...न्यूनतम सौर ऊष्मा अर्जन स्थिरांक ≤ 58%
13. पैरा 2 उप-पैरा (6), तालिका 1.4 के नीचे टिप्पण	हिंदी (पृष्ठ 7)	टिप्पण :मॉडल 'i' और उसके प्रकारों की प्रभावी आयतन) एनआई (को निम्नानुसार परिकलित किया जाएगा:	टिप्पण : मॉडल 'i' और उसके प्रकारों की प्रभावी मात्रा (N _i) को निम्नानुसार परिकलित किया जाएगा:
14. पैरा 2 उप-पैरा (7)	हिंदी (पृष्ठ 7)	(7) विनिर्माता प्रत्येक मॉडल के लिए निष्पादन P _i (एमआईडीसी) और निष्पादन P _i (डब्ल्यूएलटीपी) (ग्राम CO ₂ /कि.मी. में) घोषित करेंगे, जो तारीख 01 अप्रैल 2027 से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, जिनका परीक्षण मौजूदा संशोधित भारतीय ड्राइविंग साइकिल (एमआईडीसी) और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	(7) विनिर्माता, तारीख 01 अप्रैल 2027 से बिक्री के लिए उपलब्ध प्रत्येक मॉडल के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा अधिसूचित मौजूदा संशोधित भारतीय ड्राइविंग साइकिल (एमआईडीसी) और विश्वव्यापी सामंजस्यित हल्के यान परीक्षण प्रक्रिया (डब्ल्यूएलटीपी),

		(एमओआरटीएच) द्वारा अधिसूचित विश्वव्यापी सामंजस्यित हल्के यान परीक्षण प्रक्रिया (डब्ल्यूएलटीपी) पर दोनों नामनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा किया जाएगा।	दोनों पर परीक्षित निष्पादन p_i (एमआईडीसी) और निष्पादन p_i (डब्ल्यूएलटीपी) (ग्राम CO_2 /कि.मी. में) नामनिर्दिष्ट अभिकरण को घोषित करेंगे।
15. पैरा 2 उप-पैरा (8)	हिंदी (पृष्ठ 7)	(8) प्रत्येक विनिर्माता को रिपोर्ट की गई आयतन (N_i) के लिए	(8) प्रत्येक विनिर्माता को रिपोर्ट की गई मात्रा (n_i) के लिए,
16. पैरा 5	हिंदी (पृष्ठ 8)	...जैव ईंधनों के उपयोग के लिए कार्बन न्यूट्रलता कारक, सुपर-क्रेडिट के लिए वॉल्यूम न्यूनीकरण कारक (vi) और...	...जैव ईंधनों के उपयोग के लिए कार्बन उदासीनता कारक, सुपर-क्रेडिट के लिए मात्रा अपवहन कारक (v_i) और...
17. पैरा 6 उप-पैरा (2)	हिंदी (पृष्ठ 8)	(2) प्रत्येक निर्धारण वर्ष के 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक तीस दिनों की विनिर्दिष्ट व्यापार अवधि के भीतर ही अनुमत होगी।	(2) प्रत्येक निर्धारण वर्ष के 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इकतीस दिनों की विनिर्दिष्ट व्यापार अवधि के भीतर ही अनुमत होगी।
18. पैरा 6 उप-पैरा (2)	अंग्रेजी (पृष्ठ 16)	(2) the designated trading window of thirty days , from 1st October to 31st October of each assessment year.	(2) the designated trading window of thirty-one days , from 1st October to 31st October of each assessment year.
19. पैरा 7 खण्ड (c)	हिंदी (पृष्ठ 9)	(ग) निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिकल्पित किया जाएगा, अर्थात्:—	(ग) निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिकल्पित किया जाएगा, अर्थात्:—
20. पैरा 7 खण्ड (घ)	हिंदी (पृष्ठ 9)	(घ) छोटे पैमाने के विनिर्माताओं को निगमित औसत ईंधन दक्षता मानदंडों के अधीन	(घ) लघु मात्रा विनिर्माताओं को निगमित औसत ईंधन दक्षता मानदंडों के अधीन
21. पैरा 8 खण्ड (a)	हिंदी (पृष्ठ 9)	(क) “वार्षिक औसत ईंधन खपत मानक” से तात्पर्य किसी विनिर्माता द्वारा निर्मित या आयातित वाहनों की अनुमत भारित औसत ईंधन खपत से है और इसे पैरा 1 के उप-पैरा (1) के अनुसार परिकल्पित किया जाता है तथा इसे पेट्रोल समतुल्य लीटर/100 कि.मी. में व्यक्त किया जाएगा तथा तीन दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाएगा;	(क) “वार्षिक औसत ईंधन खपत मानक” से तात्पर्य किसी विनिर्माता द्वारा निर्मित या आयातित वाहनों की अनुमत भारित औसत ईंधन खपत से है और इसे पैरा 1 के अनुसार परिकल्पित किया जाता है तथा इसे पेट्रोल समतुल्य लीटर/100 कि.मी. में व्यक्त किया जाएगा तथा तीन दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाएगा;
22. पैरा 8, “प्लग-इन हाइब्रिड विद्युत यान (पीएचईवी)” की परिभाषा	हिंदी पैरा (पृष्ठ 10)	(II) “प्लग-इन हाइब्रिड विद्युत यान (पीएचईवी)” का वही अर्थ होगा जैसा ऑटोमोबाइल उद्योग मानक या केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में परिभाषित है;	(ठ) “प्लग-इन हाइब्रिड विद्युत यान (पीएचईवी)” का वही अर्थ होगा जैसा ऑटोमोबाइल उद्योग मानक या केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में परिभाषित है;
23. पैरा 8, “पूलिंग” की परिभाषा	हिंदी (पृष्ठ 10)	(ठ) “पूलिंग” का तात्पर्य एक स्वैच्छिक अनुपालन तंत्र से है...	(ड) “पूलिंग” का तात्पर्य एक स्वैच्छिक अनुपालन तंत्र से है...
24. पैरा 8 “परिसीमा विस्तारित विद्युत यान	हिंदी (पृष्ठ 11)	(ड) “परिसीमा विस्तारित विद्युत यान (आरईवी)” का वही अर्थ होगा जो	(ढ) “परिसीमा विस्तारित विद्युत यान (आरईवी)” का वही अर्थ होगा

(आरईईवी)" की परिभाषा		ऑटोमोबाइल उद्योग मानक या केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में परिभाषित है;	जो ऑटोमोबाइल उद्योग मानक या केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में परिभाषित है;
25. पैरा 8, "रिपोर्टिंग अवधि" की परिभाषा	हिंदी (पृष्ठ 11)	(ढ) "रिपोर्टिंग अवधि" से तात्पर्य निगमित औसत ईंधन दक्षता मानदंडों के अधीन पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की बारह माह की अवधि से है, जिसमें दोनों तारीखें शामिल हैं;	(ण) "रिपोर्टिंग अवधि" से तात्पर्य निगमित औसत ईंधन दक्षता मानदंडों के अधीन पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की बारह माह की अवधि से है, जिसमें दोनों तारीखें शामिल हैं;

(2) उपरोक्त के अलावा उक्त अधिसूचना के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

[फा. सं. 9/2/2023-ईसी (पार्ट-4)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd October, 2026

S.O. 5436(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Power, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification S.O. No. 5346(E) dated 29th September, 2026, the following corrections shall be made:—

Para / Sub-para / Clause	Language	Existing clause in the notification	To be read as
1. Para 1 (introductory portion)	Hindi (Page 1)	निम्नलिखित समीकरण के अनुसार परिकल्पित किए जाएंगे, अर्थात्:-	निम्नलिखित समीकरण के अनुसार परिकलित किए जाएंगे, अर्थात्:-
2. Para 1, clause (c)	Hindi (Page 2)	(क). निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिकल्पित किया जाता है: -	(ग). निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिकलित किया जाता है: -
3. Para 2, sub-para (1) (first line)	Hindi (Page 3)	(1) वार्षिक औसत ईंधन खपत मानक संशोधित भारतीय ड्राइविंग चक्र) एमआईडीसी (और निम्नलिखित समीकरण के अनुसार परिकल्पित किया जाएगा, अर्थात्:	(1) वास्तविक ईंधन खपत का वार्षिक औसत संशोधित भारतीय ड्राइविंग चक्र (एमआईडीसी) और निम्नलिखित समीकरण के अनुसार परिकलित किया जाएगा, अर्थात्:
4. Para 2, sub-para (1), definition of "C.N.F _i "	Hindi (Page 3)	C.N.F _i = प्रतिशत में लागू कार्बन तटस्थ कारक;	C.N.F _i = प्रतिशत में लागू कार्बन उदासीनता कारक;
5. Para 2, sub-para (1),	Hindi (Page 3)	c _i = अधिसूचना के उप-पैरा (4) में	c _i = अधिसूचना के उप-पैरा (3) और

definition of “C _i ”		परिभाषित किया गया है।	(4) में परिभाषित किया गया है।
6. Para 2, sub-para (2)	Hindi (Page 3)	(2) प्रत्येक मॉडल की ईंधन खपत (एफसी) प्रति सौ किलोमीटर में	(2) प्रत्येक मॉडल की ईंधन खपत (एफसी) लीटर प्रति सौ किलोमीटर में
7. Para 2, sub-para (2), clause (a)	Hindi (Page 3)	(क). वास्तविक ईंधन खपत की गणना प्रति सौ किलोमीटर (पेट्रोल, एलपीजी या डीजल के मामले में)	(क). प्रत्येक मॉडल की वास्तविक ईंधन खपत की गणना लीटर प्रति सौ किलोमीटर (पेट्रोल, एलपीजी या डीजल के मामले में)
8. Para 2, sub-para (2), clause (b)	Hindi (Page 4)	(ख). अनुमोदन के अनुसार किलोवाट-घंटे प्रति एक हजार किलोमीटर में मापा जाएगा;	(ख). अनुमोदन के अनुसार किलोवाट-घंटे प्रति एक सौ किलोमीटर में मापा जाएगा;
9. Para 2, sub-para (4), clause (a)	Hindi (Page 4)	(क) नीचे दी गई तालिका 1.3 में सूचीबद्ध इन प्रौद्योगिकियों से ईंधन खपत में कमी को प्रमाणित करने के लिए उपयुक्त प्रमाणन पद्धतियाँ पृथक् रूप से विकसित करेगा;	(क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय , नीचे दी गई तालिका 1.3 में सूचीबद्ध इन प्रौद्योगिकियों से ईंधन खपत में कमी को प्रमाणित करने के लिए उपयुक्त प्रमाणन पद्धतियाँ पृथक् रूप से विकसित करेगा;
10. Para 2, sub-para (4), Table 1.3, S. No. 5, column (3)	Hindi (Page 5)	$\geq 72\%$ के लिए $\geq 90\text{ए से} < 150$ से रेटिंग	$\geq 72\%$ के लिए $\geq 90\text{ए से} < 150\text{ए}$ रेटिंग
11. Para 2, sub-para (4), Table 1.3, S. No. 6, column (2)	Hindi (Page 5)	12 वोल्ट/48 वोल्ट मोटर-जनित्र सूक्ष्म-संकर(	12 वोल्ट/48 वोल्ट मोटर-जनित्र (सूक्ष्म-संकर)
12. Para 2, sub-para (4), Table 1.3, S. No. 8, column (3)	Hindi (Page 5)	...न्यूनतम सौर ऊष्मा अर्जन स्थिरांक $\geq 58\%$	...न्यूनतम सौर ऊष्मा अर्जन स्थिरांक $\leq 58\%$
13. Para 2, sub-para (6), Note below Table 1.4	Hindi (Page 7)	टिप्पण :मॉडल 'i' और उसके प्रकारों की प्रभावी आयतन) एनआई (को निम्नानुसार परिकलित किया जाएगा:	टिप्पण : मॉडल 'i' और उसके प्रकारों की प्रभावी मात्रा (N_i) को निम्नानुसार परिकलित किया जाएगा:
14. Para 2, sub-para (7)	Hindi (Page 7)	(7) विनिर्माता प्रत्येक मॉडल के लिए निष्पादन P _i (एमआईडीसी) और निष्पादन P _i (डब्ल्यूएलटीपी) (ग्राम	(7) विनिर्माता, तारीख 01 अप्रैल 2027 से बिक्री के लिए उपलब्ध प्रत्येक मॉडल के लिए, सड़क

		CO ₂ /कि.मी. में) घोषित करेंगे, जो तारीख 01 अप्रैल 2027 से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, जिनका परीक्षण मौजूदा संशोधित भारतीय ड्राइविंग साइकिल (एमआईडीसी) और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा अधिसूचित विश्वव्यापी सामंजस्यित हल्के यान परीक्षण प्रक्रिया (डब्ल्यूएलटीपी) पर दोनों नामनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा किया जाएगा।	परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा अधिसूचित मौजूदा संशोधित भारतीय ड्राइविंग साइकिल (एमआईडीसी) और विश्वव्यापी सामंजस्यित हल्के यान परीक्षण प्रक्रिया (डब्ल्यूएलटीपी), दोनों पर परीक्षित निष्पादन p_i (एमआईडीसी) और निष्पादन p_i (डब्ल्यूएलटीपी) (ग्राम CO ₂ /कि.मी. में) नामनिर्दिष्ट अभिकरण को घोषित करेंगे।
15. Para 2, sub-para (8)	Hindi (Page 7)	(8) प्रत्येक विनिर्माता को रिपोर्ट की गई आयतन (N_i) के लिए	(8) प्रत्येक विनिर्माता को रिपोर्ट की गई मात्रा (n_i) के लिए,
16. Para 5	Hindi (Page 8)	...जैव ईंधनों के उपयोग के लिए कार्बन न्यूट्रलता कारक, सुपर-क्रेडिट के लिए वॉल्यूम न्यूनीकरण कारक (v_i) और...	...जैव ईंधनों के उपयोग के लिए कार्बन उदासीनता कारक, सुपर-क्रेडिट के लिए मात्रा अपवहन कारक (v_i) और...
17. Para 6, sub-para (2)	Hindi (Page 8)	(2) प्रत्येक निर्धारण वर्ष के 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक तीस दिनों की विनिर्दिष्ट व्यापार अवधि के भीतर ही अनुमत होगी।	(2) प्रत्येक निर्धारण वर्ष के 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इकतीस दिनों की विनिर्दिष्ट व्यापार अवधि के भीतर ही अनुमत होगी।
18. Para 6, sub-para (2)	English (Page 16)	(2) the designated trading window of thirty days , from 1st October to 31st October of each assessment year.	(2) the designated trading window of thirty-one days , from 1st October to 31st October of each assessment year.
19. Para 7, clause (c)	Hindi (Page 9)	(ग) निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिकल्पित किया जाएगा, अर्थात्:—	(ग) निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिकलित किया जाएगा, अर्थात्:—
20. Para 7, clause (घ)	Hindi (Page 9)	(घ) छोटे पैमाने के विनिर्माताओं को निगमित औसत ईंधन दक्षता मानदंडों के अधीन	(घ) लघु मात्रा विनिर्माताओं को निगमित औसत ईंधन दक्षता मानदंडों के अधीन
21. Para 8, clause (a)	Hindi (Page 9)	(क) “वार्षिक औसत ईंधन खपत मानक” से तात्पर्य किसी विनिर्माता द्वारा निर्मित या आयातित वाहनों की	(क) “वार्षिक औसत ईंधन खपत मानक” से तात्पर्य किसी विनिर्माता द्वारा निर्मित या आयातित वाहनों की

		अनुमत भारित औसत ईंधन खपत से है और इसे पैरा 1 के उप-पैरा (1) के अनुसार परिकल्पित किया जाता है तथा इसे पेट्रोल समतुल्य लीटर/100 कि.मी. में व्यक्त किया जाएगा तथा तीन दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाएगा;	अनुमत भारित औसत ईंधन खपत से है और इसे पैरा 1 के अनुसार परिकल्पित किया जाता है तथा इसे पेट्रोल समतुल्य लीटर/100 कि.मी. में व्यक्त किया जाएगा तथा तीन दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाएगा;
22. Para 8, definition of “Plug-in hybrid electric vehicle (PHEV)”	Hindi (Page 10)	(I) “प्लग-इन हाइब्रिड विद्युत यान (पीएचईवी)” का वही अर्थ होगा जैसा ऑटोमोबाइल उद्योग मानक या केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में परिभाषित है;	(ठ) “प्लग-इन हाइब्रिड विद्युत यान (पीएचईवी)” का वही अर्थ होगा जैसा ऑटोमोबाइल उद्योग मानक या केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में परिभाषित है;
23. Para 8, definition of “Pooling”	Hindi (Page 10)	(ठ) “पूलिंग” का तात्पर्य एक स्वेच्छिक अनुपालन तंत्र से है...	(ड) “पूलिंग” का तात्पर्य एक स्वेच्छिक अनुपालन तंत्र से है...
24. Para 8, definition of “Range Extended Electric Vehicle (REEV)”	Hindi (Page 11)	(ड) “परिसीमा विस्तारित विद्युत यान (आरईईवी)” का वही अर्थ होगा जो ऑटोमोबाइल उद्योग मानक या केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में परिभाषित है;	(ढ) “परिसीमा विस्तारित विद्युत यान (आरईईवी)” का वही अर्थ होगा जो ऑटोमोबाइल उद्योग मानक या केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में परिभाषित है;
25. Para 8, definition of “Reporting period”	Hindi (Page 11)	(ढ) “रिपोर्टिंग अवधि” से तात्पर्य निगमित औसत ईंधन दक्षता मानदंडों के अधीन पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की बारह माह की अवधि से है, जिसमें दोनों तारीखें शामिल हैं;	(ण) “रिपोर्टिंग अवधि” से तात्पर्य निगमित औसत ईंधन दक्षता मानदंडों के अधीन पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की बारह माह की अवधि से है, जिसमें दोनों तारीखें शामिल हैं;

(2) All other provisions of the said notification shall remain unchanged.

[F. No. 9/2/2023-EC (Part-4)]

DIWAKAR NATH MISHRA, Addl. Secy.